भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3868
उत्तर देने की तारीख-16/03/2026

सरकारी स्कूलों में नई कक्षाओं का निर्माण

†3868. **श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:**
श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) देश में शिक्षा नीति पर कितना कार्य किया जा रहा है;
(ख) क्या सरकार को देश में विशेषकर महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी की जानकारी है और यदि हां, तो महाराष्ट्र के धाराशिव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए किए जा रहे तात्कालिक उपायों का ब्यौरा क्या है;
(घ) उपरोक्त क्षेत्रों और निर्वाचन क्षेत्र में नए कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत केन्द्र सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं;
(ङ) विगल पांच वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और
(च) स्वीकृत कक्षा निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) का सहयोग करने के लिए वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन के बाद, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और समावेशिता में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं। इनमें एनईपी 2020 के साथ समग्र शिक्षा का अनुकूलन, आधारभूत साक्षरता और संख्याज्ञान प्राप्त करने के लिए निपुण भारत मिशन का कार्यान्वयन और खेल आधारित स्कूल तैयारी के लिए विद्या प्रवेश शामिल हैं। पीएम ई-विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल लर्निंग को सुदृढ किया जा रहा है। बुनिचादी स्तर

के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और स्कूल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) के माध्यम से पाठ्यक्रम सुधार पेश किए गए हैं, जो जादूई पिटारा जैसे शिक्षण संसाधनों द्वारा समर्थित हैं। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ करने के लिए परख, निष्ठा, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी), और राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर) जैसे संस्थागत तंत्र पेश किए गए हैं। उल्लास - न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के माध्यम से वयस्क साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है और पीएम श्री स्कूल योजना का उद्देश्य एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करते हुए देश भर में 14,500 मॉडल स्कूलों का विकास करना है।

(ख) से (ड): स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता और आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर प्रति वर्ष वृद्धिशील आधार पर तैयार किया जाता है और यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडाईज+) के माध्यम से चिहिन्त कमियों को उनके वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में दर्शाया जाना है। इन योजनाओं का राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा योजना के कार्यक्रमगत एवं वित्तीय मानदंडों, पूर्व स्वीकृत कार्यों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है। इस योजना के तहत, प्रत्येक घटक के लिए अलग-अलग राशि के स्थान पर राज्यों को एकमुश्त आधार पर निधि जारी की जाती है और राज्य अपनी प्राथमिकता और तात्कालिकता के अनुसार निधि का उपयोग करते हैं।

शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की अनुसूची और संबंधित राज्य आरटीई नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार स्कूलों में कक्षाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं। यूडाईज+ 2024-25 के अनुसार, देश में 10,13,322 सरकारी स्कूल हैं। इन सरकारी स्कूलों में कक्षाओं की कुल संख्या 49,39,953 है। राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

प्रबंध के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26) के दौरान महाराष्ट्र सहित देश भर में सरकारी स्कूलों के लिए कुल 42,351 अतिरिक्त कक्षाओं की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए कुल ₹4,94,624.51 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। विस्तृत जानकारी **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

अनुलग्नक-I

"सरकारी स्कूलों में नई कक्षाओं का निर्माण" के संबंध में माननीय सांसद श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर और श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3868 के भाग (ख) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

महाराष्ट्र सहित सरकारी स्कूल में कक्षाएं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी स्कूलों की कुल संख्या	सरकारी स्कूलों में कक्षाओं की संख्या 2024-25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	335	2655
आंध्र प्रदेश	44886	171754
अरुणाचल प्रदेश	2558	14313
असम	44741	170631
बिहार	76320	452816
चंडीगढ़	118	3613
छत्तीसगढ़	48827	178944
दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	361	2560
दिल्ली	2681	62883
गोवा	780	2618
गुजरात	34638	201561
हरियाणा	14338	85186
हिमाचल प्रदेश	14725	62254
जम्मू और कश्मीर	18785	82174
झारखंड	35788	182303
कर्नाटक	48844	253051
केरल	4808	65498
लद्दाख	812	3907
लक्षद्वीप	36	528
मध्य प्रदेश	92250	385925
महाराष्ट्र	**64884**	**271903**
मणिपुर	2952	14873
मेघालय	7789	23508
मिज़ोरम	2617	10660
नागालैंड	1936	13667
ओडिशा	48625	194491
पुडुचेरी	419	3571
पंजाब	19243	103604
राजस्थान	70155	361548
सिक्किम	857	7531

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी स्कूलों की कुल संख्या	सरकारी स्कूलों में कक्षाओं की संख्या 2024-25
तमिलनाडु	37626	218403
तेलंगाना	30057	130223
त्रिपुरा	4187	25037
उत्तर प्रदेश	137172	658590
उत्तराखंड	16018	53485
पश्चिम बंगाल	82154	463685
कुल	**1013322**	**4939953**

स्रोत: यूडाईज+ 2024-25

अनुलग्नक-II

"सरकारी स्कूलों में नई कक्षाओं का निर्माण" के संबंध में माननीय सांसद श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर और श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3868 के भाग (ख) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान महाराष्ट्र सहित सरकारी स्कूल में अतिरिक्त कक्षाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक अनुमोदन	स्वीकृत धनराशि (रु. लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	281	3765.17
2	अरुणाचल प्रदेश	248	3696.46
3	असम	3601	45911.37
4	बिहार	8319	108471.77
5	छत्तीसगढ़	1865	15397.51
6	दादरा और नगर हवेली	1	10.88
7	दिल्ली	36	742.84
8	गुजरात	832	14548.59
9	हरियाणा	2293	25595.73
10	हिमाचल प्रदेश	222	2638.25
11	जम्मू और कश्मीर	3418	42655.04
12	झारखंड	1243	11434.10
13	कर्नाटक	37	651.20
14	केरल	71	785.50
15	लद्दाख	132	1272.56
16	मध्य प्रदेश	998	16083.26
17	**महाराष्ट्र**	**146**	**1963.35**
18	मणिपुर	307	6372.42
19	मेघालय	18	243.78
20	मिज़ोरम	20	423.05
21	नागालैंड	82	1738.99
22	ओडिशा	2363	37291.06
23	पुडुचेरी	4	69.44
24	पंजाब	2196	18897.12
25	राजस्थान	1556	18327.12
26	सिक्किम	6	114.60
27	तमिलनाडु	231	4320.90
28	तेलंगाना	209	3329.00
29	त्रिपुरा	408	9336.46

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक अनुमोदन	स्वीकृत धनराशि (रु. लाख में)
30	उत्तर प्रदेश	8577	66066.34
31	उत्तराखंड	481	7046.84
32	पश्चिम बंगाल	2150	25423.80
कुल योग		**42351**	**494624.51**

स्रोत: प्रबंध